नॉन मीट प्रोडेक्ट्स में हलाल सर्टफिकिेशन

[स्रोत: लाइव मिंट]

सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका के जवाब में **सॉलिसिटर जनरल ने सीमेंट, लोहे की छड़, गेहूँ का आटा और बेसन** जैसे **मांस-रहित (नॉन मीट प्रोडेक्ट्स) उत्पादों के लिये हलाल सर्टफिकिेशन (प्रमाणीकरण)** का विरोध किया।

- हलाल सर्टफिकिेशन पर विवाद है कि यह **हलाल मानकों का पालन** न करने वाले व्यवसायों को **नुकसान पहुँचाता है तथा अनुचित प्रतिस्पर्द्धा** को बढ़ावा देता है।
  - जिन व्यवसायों पर **जाली हलाल सर्टफिकिेशन** जारी करने का आरोप है, उन्होंने बिक्री बढ़ाने के लिये धार्मिक भावनाओं का लाभ उठाया, सामाजिक असंतोष तथा जनता के विश्वास का उल्लंघन किया है।
- **हलाल:** हलाल एक **अरबी शब्द** है जिसका अंग्रेज़ी में अर्थ Permissible (अनुमेय) होता है
  - FAO हलाल भोजन को उस भोजन के रूप में परिभाषित करता है जिसकी **इस्लामी कानून** के तहत अनुमति है।
  - हलाल सर्टफिकिेशन इस बात की गारंटी है कि **भोजन इस्लामी कानून** के अनुसार तैयार किया गया है तथा उसमें कोई मिलावट नहीं है।
  - भारत में **राष्ट्रीय हलाल प्रमाणन प्रणाली का अभाव है, हालाँकि i-CAS (भारतीय अनुरूपता मूल्यांकन योजना)** के माध्यम से मांस उत्पादों के लिये प्रमाणन को कारगर बनाने के प्रयास चल रहे हैं।
    - i-CAS मांस और मांस उत्पादों के लिये **हलाल सर्टफिकिेशन (प्रमाणीकरण) को सुव्यवस्थित करता है।**
  - **DGFT दिशा-निर्देशों** के अनुसार, **मांस और उसके उत्पादों को 'हलाल सर्टफिकिेशन' के रूप में त** भी निर्यात किया जा सकता है, जब उनका उत्पादन, प्रसंस्करण और पैकेजिंग किसी मान्यता प्राप्त निकाय से **वैध प्रमाण-पत्र** के साथ की गई हो।
- **सॉलिसिटर जनरल:** सॉलिसिटर जनरल [अटॉर्नी जनरल] के बाद सरकार के **दूसरे सबसे वरिष्ठ विधि** अधिकारी हैं।

और पढ़ें: [CLEA - कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस, 2024]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/halal-certification-controversy-in-non-meat-products